न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः बीना महावर, आर0ए0एस0)

पत्रावली संख्या : 39/2021 प्रार्थना पत्र (खा.सु.अ.)

जगदीश प्रसाद गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर।

आवेदक

बनाम

सतीश चन्द अग्रवाल पुत्र केदारनाथ उम्र 50 वर्ष (खाद्य कारोबारकर्ता, मालिक एवं विक्रेता) मैसर्स कंसल एण्ड ब्रादर्स, ऊंचा नगला, भरतपुर निवासी नीमदा गेट, भरतपुर।

गैरसायल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26(2)(ii)/51 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित :

1. प्रार्थी स्वयं
2. गैरसायल स्वयं

निर्णय

दिनांक : 22.12.2021

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत 26(2)(ii)/51 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011 के अन्तर्गत विरूद्ध गैरसायल दिनांक 24.05.2021 को प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। नियत दिनांक 22.12.2021 को गैरसायल उपस्थित। इस्तगासा की नकल देते हुये गैरसायल को इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया कि दिनांक 27.10.2020 को

न्याय निर्णयन अधिकारी
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
भरतपुर (राज.)

दोपहर 01.00 बजे गैरसायल की दुकान मै0 कंसल एण्ड ब्रादर्स, ऊंचा नगला, भरतपुर का निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण/जांच गैरसायल की उक्त दुकान पर आम जनता के इस्तेमाल के लिये विक्रय हेतु प्लास्टिक के 22 ड्रमों में 3000 लीटर मिश्रित दूध फ्रोजन अवस्था में रखा पाया गया। जिनमें मिलावट का संदेह होने पर नियमानुसार मौके पर नमूना लिया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी गई। खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/655/एक्ट/2020/727 दिनांक 04.11.2020 द्वारा उक्त मिश्रित दूध का नमूना अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) प्रकृति का मिश्रित दूध विक्रय करके एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(ii) का उल्लंघन किया गया है।

आरोपों को सुन व समझकर गैरसायल का कथन है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा गैरसायल की दुकान मैसर्स कंसल एण्ड ब्रादर्स, ऊंचा नगला, भरतपुर से मिश्रित दूध की जांच हेतु नमूना लिया गया है। जो खाद्य विश्लेषण अलवर की जॉच रिपोर्ट में अवमानक खाद्य पदार्थ (Sabstandard Food) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल के द्वारा उक्त मिश्रित दूध के निर्माण में जो अनियमितता रही है वह सहवन से हुई है। उक्त मिश्रित दूध की जांच रिपोर्ट में हानिकारक नहीं माना जाकर अवमानक स्तर का पाया गया है। गैरसायल द्वारा यह त्रृटी सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करता है। गैरसायल भविष्य में सावधानी पूर्वक देखभाल करके ही कोई प्रोडेक्ट का विक्रय करेगा। गैरसायल के प्रति नरमरूख अपनाते हुये कार्यवाही की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल के कथनों पर मनन किया गया। दिनांक 27.10.2020 को दोपहर 01.00 बजे दौराने निरीक्षण/जांच गैरसायल की दुकान पर आम जनता के विक्रय हेतु मिश्रित दूध फ्रोजन अवस्था में करीब 3000 लीटर रखा हुआ पाया गया। खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/655/एक्ट/2020/727 दिनांक 04.11.2020 के द्वारा उक्त मिश्रित दूध का नमूना अवमानक खाद्य पदार्थ (Sabstandard Food) प्रकृति का पाया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार Milk fat% का मानक Minimum 4.50% होना चाहिये था परन्तु इसका मानक 3.70% पाया गया है निर्धारित मानक से कम है। इसी प्रकार Milk solids not

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
भरतपुर (राज.)

fat% का मानक Minimum 8.50% होना चाहिये था परन्तु इसका मानक 7.69% पाया गया है जो निर्धारित मानक कम है। दौराने सुनवाई गैरसायल के द्वारा भविष्य में इस प्रकार की अनियमियता की पुनरावृति नही करने एवं सावधानी पूर्वक फूड प्रोडेक्ट का विक्रय करना स्वीकार किया है। गैरसायल के विरूद्ध पूर्व में भी प्रकरण दर्ज हुआ है। गैरसायल की यह दूसरी गलती होने के कारण भविष्य में इस प्रकार की अनियमियता की पुनरावृति नही किये जाने की चेतावनी गैरसायल को दी जाती है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत गैरसायल के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर 50000/—रूपये (पचास हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायल अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बीना महावर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर